भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1444

31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

अंत्योदय अन्न योजना

1444. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंत्योदय अन्न योजना का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;
(घ) इसके अंतर्गत अब तक निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या उक्त योजना का लाभ अपात्र लोगों को मिलने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) का आरंभ, उस समय सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले संबसे निर्धन परिवारों (बीपीएल) से चिह्नित किए जाने वाले समूचे देश के 1 करोड़ निर्धन से निर्धनतम परिवारों हेतु, दिसंबर 2000 में किया गया था। तब से एएवाई के तहत प्रत्येक बार 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को कवर करते हुए इस कवरेज को तीन बार अर्थात् वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में बढ़ाया गया है। इस प्रकार एएवाई के तहत कुल कवरेज बढ़कर 2.50 करोड़ परिवार तक पहुंच गई है। टीपीडीएस के तहत दिसंबर, 2022 तक सब्सिडीयुक्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान किए गए थे। तथापि, 01 जनवरी, 2023 से इस अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जा रहे हैं।

...2/-

(ख): भारत सरकार एएवाई परिवारों सहित सभी एनएफएसए राशन कार्ड धारकों को मासिक वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न आबंटित करती है। एएवाई स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु को आबंटित खाद्यान्न का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(हजार टन में)

2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (जून, 2024 तक)	
आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
783.13	612.21	783.13	582.33	782.86	583.37	195.69	104.92

इसके अलावा, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम- "खाद्यान्नों का अंतरराज्यीय संचलन और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" के तहत पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु राज्य को जारी की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

वर्ष	जारी की गई धनराशि
2021-22	131.65
2022-23	543.01
2023-24	145.90
कुल	820.56

(ग): सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाती है:

(i) भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत किसानों, ग्रामीण कारीगरों/शिल्पी, जैसे कि कुम्हार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग और अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर अपनी आजीविका कमाने वाले व्यक्ति जैसे कुली, कुम्हार, रिक्शा चालक, हाथ से गाड़ी खीचने वाले, फल और फूल विक्रेता, सपेरा, कूड़ा बीनने वाले, मोची, निराश्रित और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अन्य सामान्य श्रेणियां;

(ii) विधवाओं या असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों/विकलांग व्यक्तियों/60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा संचालित परिवार जिनके पास जीविका या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है;

...3/-

(iii) विधवाएँ या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिला या एकल पुरुष जिनके पास कोई पारिवारिक या सामाजिक सहायता या जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है;

(iv) सभी आदिम जनजातीय परिवार;

(v) एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले सभी पात्र परिवार।

(घ): वर्तमान में, देश में एनएफएसए के तहत 2.5 करोड़ एएवाई परिवारों की सीमा के सापेक्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 2.37 करोड़ एएवाई परिवार कवर किए गए हैं।

(ड.) और (च): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का प्रचालन केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की संयुक्त जवाबदेही में किया जाता है। प्रचालनात्मक जवाबदेही जिसमें पात्र परिवारों/लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना आदि शामिल है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की होती है। इसके अलावा टीपीडीएस नियंत्रण आदेश के खंड 3(13) के अनुसार राज्य सरकार पात्र परिवारों को हटाने अथवा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा तक पात्र परिवारों को शामिल करने के उद्देश्य हेतु पात्र परिवारों की सूची की नियमित समीक्षा करेगी।

चूंकि टीपीडीएस संयुक्त जवाबदेही में प्रचालित की जाती है, इसलिए इस विभाग में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए टीपीडीएस के प्रचालन संबंधी कार्यों में किन्हीं अनियमितताओं से संबंधित किसी भी स्रोत से जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन शिकायतों की जांच के लिए और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की तरफ से उन पर उचित कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दी जाती हैं। पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इस प्रकार यह आदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को इन आदेशों के संगत प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है।

*****